न्यायालय, सब जज–तृतीय, डुमरॉव, बक्सर।

टी0एस0–155/1992

22.06.2023

उभय पक्ष की पैरवी है। प्रस्तुत वाद वादी के तरफ से दिए गए आवेदन दिनांक–18.05.2023 आदेश–22 नियम–3 व धारा 151 सी0पी0सी0 वास्ते प्रतिस्थापन वादीगण 1 (क) पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के सुनवाई उपरांत आदेश हेतु नियत है।

आदेश

वाद पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिववक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान वादीह के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मुकदमा हाजा में वादी नंबर–1 (क) अनिलकुमार सिन्हा थे जो दिनांक–06.03.2023 को अपने कानूनी वारिसान अपनी पत्नी वो दो पुत्र वो एक पुत्री को छोड़कर वफात कर गये हैं जो उनके इन्ट्रेस्ट को बखुबी हरिप्रजेन्ट करते हैं तथा उनके कुल मतरूके पर काबिज दाखिल है। अतः निवेदन है कि वास्ते इंसाफ के वो न्यायहित में अर्जीदावी से वादी नंबर–1 (क) अनिलकुमार सिन्हा का नाम काट कर उनके जगह पर उनके कानूनी वारिसानों का नाम दर्ज किया जाए।

प्रतिवादी द्वारा कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया।

उभय पक्ष को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी नंबर–1 (क) अनिलकुमार सिन्हा की मृत्यु दिनांक–06.03.2023 को ही चुकी है। अतः न्यायहित में वादी द्वारा दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक–18.05.2023 स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय लिपिक नियमानुसार वादी नंबर–1 (क) अनिलकुमार सिन्हा का नाम विलोपित कर उनके जगह पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करे।

वाद दिनांक–............................वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

सब जज–तृतीय